छत्तीसगढ़ शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्रमांक/पंचा./पंग्राविवि/2013/135 रायपुर, दिनांक 29-05-2013

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर,
(रायपुर, बलौदाबाजार–भाटापारा, महासमुंद, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, जांजगीर–चांपा को छोड़कर)
छत्तीसगढ़

2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
(महासमुंद, कबीरधाम, जांजगीर–चांपा को छोड़कर)
छत्तीसगढ़

विषय :– फुलवारी योजना का कियान्वयन।

—00—

एकीकृत बाल विकास परियोजना की वर्तमान व्यवस्था में 06 माह से 03 वर्ष तक आयु के बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन देने का प्रावधान नही है। इस कमी को पूरा करने के लिये प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में फुलवारी योजना प्रारंभ किया जा रहा है। प्रारंभिक तौर पर यह योजना अनुसूचित क्षेत्र के समस्त 85 विकासखण्डों में प्रायोगिक तौर पर प्रारंभ किया जाय।

2– फुलवारी योजना में 06 माह से 03 वर्ष उम्र तक के बच्चों, गर्भवती एवं शिशुवती महिलाएं लाभान्वित होंगी। योजना का संचालन ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता तथा पंचायतों की देख–रेख में की जायेगी। पंचायतों को पोषण व स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ करने का अवसर मिलेगा।

3– इस पत्र के साथ योजना के उद्देश्य, विभिन्न स्तर पर अधिकारियों एवं पदाधिकारियों की भूमिकाएं, कार्य योजना, कियान्वयन प्रकिया, मॉनिटरिंग एवं राशि की उपयोगिता आदि के संबंध में दिशा–निर्देश संलग्न है। योजना से संबंधित बजट आबंटन आपको पृथक से उपलब्ध कराया जा रहा है। यह ध्यान रखा जाय की योजना के तहत् प्रदाय की गई राशि का शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों के तहत् अंकेक्षण कार्य भी संपन्न कराया जाना सुनिश्चित करें।

State Health Resource Centre, Kalibadi, Raipur R. No. 476 Dt. 4/6/13

कृपया योजना के प्रभावकारी कियान्वयन हेतु संलग्न दिशा निर्देश के अनुरूप समुचित कार्यवाही किया जाकर इस विभाग को तत्काल अवगत कराया जाय।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(विवेक ढाँड)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

पृ.क./पंचा./पंग्राविवि/2013/136 रायपुर, दिनांक 29-05-2013

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक मान. मंत्री जी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
3. मुख्य सचिव के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
6. सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
8. परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बलौदाबाजार भाटापारा/गरियाबंद/बालोद/बेमेतरा/मुंगेली/सूरजपुर/बलरामपुर/सुकमा/कोण्डागांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
9. कार्यकारी संचालक, राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र, रायपुर छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. समस्त जिला अंकेक्षक, जिला .... छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।
11. सर्व संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत .... (रायपुर, बलौदाबाजार–भाटापारा, महासमुंद, दुर्ग, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, जांजगीर–चांपा को छोड़कर) छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ।

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

फुलवारी योजना

दिशा–निर्देश

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,

छत्तीसगढ़

अप्रैल 2013

विषय सूची

अध्याय 1 – प्रस्तावना

अध्याय 2 – फुलवारी योजना के उद्देश्य

अध्याय 3 – मुख्य भूमिकाएं

अध्याय 4 – फुलवारी योजना की कार्य योजना एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया

अध्याय 5 – निर्धारित प्रपत्र

अध्याय – 1

प्रस्तावना

तीन साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुवती माताओं के लिए फुलवारी केन्द्र की आवश्यकता :–

पोषण विद्यों अनुसार बाल कुपोषण का मुकाबला करने के लिए 6 माह से 3 वर्ष के बीच की आयु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। 6 माह की आयु के बाद बच्चों के कुपोषण में वृद्धि बहुत तेजी से होती है। इसे ठीक करने का सबसे अच्छा अवसर भी 6 माह से 3 वर्ष के बीच ही रहता है। इसलिए इस उम्र के बच्चों की देखभाल और खान–पान पर पर्याप्त समय और विशेष देखभाल की जरूरत होती है। किन्तु अधिकांश गरीब महिलाओं को घर के काम व आजीविका अर्जन हेतु बाहर अधिक समय देना पड़ता है। साथ ही गरीबी के कारण बहुत से परिवार गुणवत्ता पूर्ण भोजन पदार्थ जैसे कि अण्डा, दूध, सब्जी, फल, दाले आदि पर्याप्त रूप से बच्चों को नहीं खिला पाते हैं।

आंगनवाड़ी कार्यक्रम का वर्तमान ढ़ांचा 3 से 6 वर्ष के बच्चों पर केन्द्रित है। 3 से 6 वर्ष के बच्चे रोज आंगनवाड़ी आते है। आंगनवाड़ी के मुख्य संसाधन अर्थात भवन, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को भोजन व शाला पूर्व शिक्षा पर केन्द्रित हैं। 3 साल से छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी से मुख्यतः साप्ताहिक रेडी–टू–ईट आहार ले जाने की सुविधा है।

गर्भवती महिलाओं को भी समुचित आहार नहीं मिल पाने के कारण गर्भावस्था में उनके वजन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होती है। इसका कुप्रभाव नवजात बच्चे का वजन जन्म से ही कम होने के रूप में दिखाई देता है। शिशुवती महिलाएं (0 से 6 माह के बच्चों की माताएं) भी आहार की कमी से कमज़ोर हो जाती है, जिससे उनके द्वारा भविष्य में कुपोषित बच्चे को जन्म देने की संभावना बढ़ जाती है। परिवार स्तर पर पौष्टिक आहार जैसे कि सब्जी, फल, अण्डा आदि की उपलब्धता भी कम है। उनके लिए भी आंगनवाड़ी से मुख्यतः साप्ताहिक रेडी–टू–ईट आहार का ही प्रावधान है।

अतः आंगनवाड़ी से चल रहे कार्यक्रम के साथ–साथ छोटे बच्चों को दिनभर देखने व खाना खिलाने के लिए फुलवारी आरंभ किये जाने की योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रावधानित की गई है। जिला पंचायत सरगुजा द्वारा अगस्त 2012 से जिले में फुलवारी का प्रयोग आरंभ किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायतों के माध्यम से 300 फुलवारी संचालित हैं। कार्यक्रम का संचालन ग्राम पंचायतों व मितानिन कार्यक्रम के बीच Convergence के माध्यम से किया जा रहा है। सरगुजा जिले के सफल प्रयोग को देखते हुए फुलवारी योजना हेतु दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं।

अध्याय – 2
फुलवारी योजना के उद्देश्य

योजना का मुख्य लक्ष्य 3 वर्ष से छोटे बच्चों की कुपोषण दर में कमी लाना है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को देखभाल व संतुलित गर्म पका आहार उपलब्ध कराना।
2. 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों की संक्रामक बीमारियों से रक्षा करना।
3. गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को संतुलित गर्म पका आहार उपलब्ध कराना।
4. 3 साल से छोटे बच्चे अथवा गर्भवती वाले परिवारों में सब्जी, फल आदि पौष्टिक आहारों का उत्पादन बढ़ाना।
5. पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका को सशक्त बनाना।

अध्याय – 3
मुख्य भूमिकाएं

ग्राम पंचायत :–

- फुलवारी का क्रियान्वयन शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण स्थायी समिति द्वारा किया जायेगा।
- फुलवारी के क्रियान्वयन की निगरानी करना।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति या महिला स्व–सहायता समूह को समय पर अग्रिम राशि जारी करना, उनसे उपयोगिता प्रमाण पत्र लेना व जनपद पंचायत को निर्धारित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना।
- फुलवारी के क्रियान्वयन में पालकों की समिति को आवश्यक सहयोग प्रदान करना।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत :–

- ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों एवं सचिवों के उन्मुखिकरण हेतु सहयोग सुनिश्चित करना।
- फुलवारी योजना हेतु ग्राम पंचायतों के नये बैंक खाते खुलवाने की निगरानी करना।
- ग्राम पंचायतों को अग्रिम राशि समय पर जारी करना।
- ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार उपयोगिता प्रमाण पत्रों को संकलित कर जिला पंचायत को प्रेषित करना।
- पंचायत सचिवों के कार्य की निगरानी करना।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत :–

- जिले में फुलवारी योजना की समुचित निगरानी करना।
- जनपद पंचायतों को अग्रिम राशि समय पर जारी करना।
- जनपद पंचायत की उपरोक्त भूमिका की निगरानी करना।

मितानिन :–

- फुलवारी गठन व इसके सफल संचालन हेतु समुदाय को प्रेरित करना।
- हितग्राही बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी करना एवं आवश्यकता अनुसार सलाह देना।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति :–

- पालकों की समिति द्वारा तय क्रय समिति को आवश्यक सामग्री क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराना।
- समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत को प्रेषित करना।

मितानिन प्रशिक्षक :–

- पारा चयन हेतु आवश्यक जानकारी एकत्रित करना एवं समुदाय के साथ बैठक आयोजित करना।
- चयनित पारे में पालकों की समिति का गठन कर इसकी जानकारी निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायत को देना।
- पालकों की समिति को फुलवारी की सभी गतिविधियों पर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करना।
- पालकों की क्रय समिति व ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता समिति को अभिलेख रखने, उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाने आदि में सहयोग देना।
- ग्राम पंचायत से आवश्यक समन्वय करना।
- यदि कोई समस्या हो तो ब्लॉक समन्वयक (मितानिन कार्यक्रम) को सूचित करना।

ब्लॉक समन्वयक (मितानिन कार्यक्रम) :–

- मितानिन प्रशिक्षक की भूमिका की निगरानी करना।
- जनपद पंचायत के साथ समन्वय करना।
- क्षेत्र में यदि कोई समस्याएं आ रही हो तो इसकी जानकारी जिला समन्वयक (मितानिन कार्यक्रम) एवं जनपद पंचायत को देना।

जिला समन्वयक (मितानिन कार्यक्रम) :–

- मितानिन प्रशिक्षकों एवं ब्लॉक समन्वयकों के कार्य की निगरानी करना।
- जनपद पंचायत व जिला पंचायत से आवश्यक समन्वय करना।

राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र :–

- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक सामग्री तैयार करना।
- प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षण हेतु स्त्रोत व्यक्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जिला समन्वयक की उपरोक्त भूमिका की निगरानी करना।
- प्रक्रिया की निगरानी करना एवं क्षेत्र में आ रही समस्याओं के लिए संभव समाधान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रस्तुत करना।

अध्याय – 4
फुलवारी योजना की कार्ययोजना एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया

(क) कार्य योजना :–

वर्ष 2013–14 में फुलवारी योजना के तहत अनुसूचित विकासखण्डों में कुल 2850 फुलवारी केन्द्र स्थापित किये जाने हैं। सरगुजा जिले में गत वर्ष से संचालित 300 फुलवारी केन्द्रों का इस योजना में समावेश किया जावेगा। इससे इस वर्ष 2550 और फुलवारी केन्द्र आरंभ करने की आवश्यकता होगी जिन्हें 85 अनुसूचित विकासखण्डों में 30 फुलवारी केन्द्र प्रति विकासखण्ड आरंभ किया जावेगा (विकासखण्डवार सूची परिशिष्ट–1)।

(ख) क्रियान्वयन प्रक्रिया :–

योजना का क्रियान्वयन जिला पंचायतों द्वारा किया जावेगा। इस हेतु जिला पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायतों के माध्यम से व मितानिन कार्यक्रम से समन्वय कर समुदाय स्तर पर फुलवारी गठित एवं संचालित किये जावेंगे। यह क्रियान्वयन निम्नलिखित प्रक्रिया अनुसार किया जाना है–

1. वित्तीय प्रावधान व प्रक्रिया :–

जिला पंचायतों को प्रति अनुसूचित विकासखण्ड 10 लाख रू. की दर से राशि जारी की जावेगी। जिला पंचायत द्वारा इसी दर से राशि संबंधित जनपद पंचायतों को जारी की जावेगी। जनपद पंचायत द्वारा मितानिन कार्यक्रम के सहयोग से फुलवारी खोलने हेतु पारा का चयन पूर्ण किया जावेगा एवं चयनित पारा की संख्या के आधार पर 30,000 रू. अग्रिम राशि प्रति फुलवारी की दर से संबंधित ग्राम पंचायतों को जारी की जावेगी।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्येक चयनित पारा से संबंधित ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति या महिला स्व–सहायता समूह को 10,000 रू. की किश्तों में अग्रिम राशि जारी की जावेगी। ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति या महिला स्व–सहायता समूह संबंधित बसाहट की माताओं की क्रय समिति को आवश्यकता अनुसार राशि जारी कर फुलवारी में भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। उपरोक्त राशि में से बर्तन, चटाई, मच्छरदानी, खिलौने आदि पर प्रति फुलवारी अधिकतम 4000 रू. व्यय क्रय समिति द्वारा किया जा सकता है। भोजन के लिए आवश्यक सामग्री हेतु प्रति बच्चा 6 रू. प्रति दिन एवं प्रति गर्भवती / शिशुवती महिला / सहयोगी 15 रू. प्रतिदिन का प्रावधान है। प्राप्त किश्त का 60 प्रतिशत अथवा अधिक उपयोगिता करने पर ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति या महिला स्व–सहायता समूह ग्राम पंचायत में उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करेगी एवं अगली किश्त प्राप्त कर सकेगी। ग्राम पंचायत फुलवारी हेतु प्राप्त 50,000 रू. में से 60 प्रतिशत अथवा अधिक उपयोगिता कर लेने अथवा 2013–14 वर्ष पूर्ण होने

पर इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र जनपद पंचायत में जमा करेगी। इस आधार पर ग्राम पंचायतों को आगामी वर्ष हेतु राशि जारी की जावेगी। प्रत्येक स्तर से जारी किये जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है।

2. फुलवारी केन्द्रों हेतु बसाहटों का चयन :–

फुलवारी उन्हीं स्थानों पर आरंभ किये जा सकते हैं, जहां स्थानीय समुदाय व पंचायत स्वयंसेवी रूप से फुलवारी चलाने के लिए तैयार हों। बसाहटों का चयन जनपद पंचायत द्वारा मितानिन कार्यक्रम के सहयोग से किया जावेगा। इस हेतु सर्वप्रथम प्रत्येक मितानिन प्रशिक्षक के क्षेत्र से अधिक पिछड़े, निर्धन व कुपोषण ग्रस्त 2 से 3 पारों को चिन्हांकित किया जावेगा। उपरोक्त पारों में मितानिन प्रशिक्षक द्वारा 2 से 3 बैठक प्रति पारा किये जावेंगे। पारा में 3 साल से छोटे बच्चों की संख्या 5 से लेकर 20 तक होनी चाहिए। यदि किसी पारा में 20 से अधिक बच्चे हों तो उसे दो भागों में बांटकर 2 फुलवारी हेतु बैठक की जावेगी। इन बैठकों में मितानिन प्रशिक्षक द्वारा फुलवारी की आवश्यकता एवं इसके स्वरूप पर समुदाय को जानकारी दी जावेगी। यदि समुदाय एवं माताएं फुलवारी के लिए स्वैच्छिक रूप से आवश्यक समय व स्थान देकर चलाने के लिए तैयार हों तो इसकी पुष्टि कम से कम 2 बैठकों में होने पर इसका लिखित प्रस्ताव तैयार कर मांग पत्र (प्रारूप संलग्न) प्रस्तुत किया जावेगा। इसमें ग्राम पंचायत के संबंधित पंच व सरपंच द्वारा फुलवारी का समर्थन किया जाना अनिवार्य होगा। यदि कार्ययोजना से अधिक संख्या में पारा फुलवारी हेतु मांग पत्र प्रेषित करते हैं तो इनमें से अंतिम चयन जनपद पंचायत द्वारा किया जावेगा।

3. फुलवारी में भोजन प्रदाय करने की व्यवस्था –

6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं व शिशुवती (0 से 6 माह के बच्चों की माताएं) को देखभाल व संतुलित गर्म पका आहार उपलब्ध कराया जावेगा। इस हेतु मितानिनों के सहयोग से पालकों की समिति गठित की जावेगी।

पालकों की समिति द्वारा साप्ताहिक मेन्यू तैयार किया जावेगा। मेन्यू में प्रतिदिन सब्जी, दाल व तेल होना अनिवार्य होगा। सप्ताह में 4 बार आधा–आधा अण्डा दिया जाना होगा। जहां अण्डा खाने के लिए पालक सहमत न हो तो इसके स्थान पर फल अथवा दूध दिया जाना होगा।

पालको की समिति द्वारा 3 महिला सदस्यों की क्रय समिति चयनित की जावेगी। क्रय समिति ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति या महिला स्व–सहायता समूह से राशि प्राप्त कर आवश्यक भोजन एवं अन्य सामग्री उपलब्ध करायेगी। यथा संभव स्थानीय अनाज, दलहन, सब्जियाँ आदि खरीदने का प्रयास किया जावेगा। क्रय समिति द्वारा खर्च की जानकारी को पंजी में संधारित किया जावेगा। इसको सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी मितानिन प्रशिक्षक की होगी।

खाना बनाने, बच्चों की देखभाल व फुलवारी के दैनिक कार्यों हेतु पालक समिति स्वेच्छा से समय देने को तैयार माताओं, गर्भवती महिलाओं, वृद्धजनों आदि का ड्यूटी चार्ट तैयार किया जावेगा। यह सहयोग देने वाले व्यक्ति फुलवारी में अपनी पारी के दिन वहां भोजन ग्रहण कर सकते हैं किन्तु यह सुविधा अधिकतम 2 सहयोगी प्रतिदिन के लिए ही मान्य होगी।

भोजन पकाने व बच्चों को रखने हेतु स्थान समुदाय द्वारा स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध कराया जावेगा। फुलवारी में सुरक्षित पेयजल रखा जावेगा। आवश्यकतानुसार बच्चों को कृमिनाशक दवा, आयरन की गोली अथवा अन्य दवा दिये जावेंगे।

4. फुलवारी के माध्यम से किये जाने वाले अन्य कार्य –

हितग्राही बच्चों व गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की निगरानी की जावेगी। समस्या दिखने पर मितानिन के माध्यम से उन्हें उचित सलाह उपलब्ध कराई जावेगी।

हितग्राही बच्चों व गर्भवती महिलाओं के पोषण की निगरानी की जावेगी। इस हेतु उनका प्रत्येक माह वजन लिया जावेगा। इस कार्य के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से आवश्यक तालमेल किया जावेगा।

गंभीर कुपोषित बच्चों के परिवारों को आवश्यक सलाह उपलब्ध कराई जावेगी।

हितग्राही परिवारों में सब्जी, फल, अण्डा आदि पौष्टिक आहारों का उत्पादन बढ़ाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण व मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जावेगा।

5. फुलवारी योजना हेतु आवश्यक क्षमता निर्माण कार्य –

मितानिन कार्यक्रम द्वारा फुलवारी संचालन हेतु समुदाय स्तरीय प्रेरणा, क्षमता निर्माण व समन्वय का कार्य किया जावेगा। इस हेतु आवश्यक कदम राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा सुनिश्चित किये जावेंगे।

अध्याय – 5
निर्धारित प्रपत्र

1. फुलवारी आरंभ करने हेतु पारा का मांग पत्र।
2. फुलवारी हेतु प्राप्त अग्रिम राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र – ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति द्वारा।
3. फुलवारी हेतु प्राप्त अग्रिम राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र – ग्राम पंचायत द्वारा।
4. फुलवारी हेतु प्राप्त अग्रिम राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र – जनपद पंचायत द्वारा।

फुलवारी आरंभ करने हेतु पारा का मांग पत्र

दिनांक ....

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जनपद पंचायत...............................,
जिला.......................................छ.ग.

ग्राम पंचायत .... ग्राम ....के पारा ....
में समुदाय फुलवारी केन्द्र आरंभ किये जाने के लिए इच्छुक है। समुदाय के परिवार फुलवारी में खाना बनाने व बच्चों की देखभाल के लिए दैनिक 7 घंटे का स्वैच्छिक समय और स्थान देने के लिए तैयार हैं। ग्राम पंचायत समुदाय के इस संकल्प हेतु आवश्यक सहयोग देने के लिए सहमत है। कृपया उपरोक्त पारा में फुलवारी केन्द्र आरंभ करने हेतु अनुमति प्रदान करें।

संलग्न :– पारा द्वारा बैठक कर सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव की प्रति।

सरपंच ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत सचिव	मितानिन प्रशिक्षक

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति

फुलवारी का उपयोगिता प्रमाण पत्र

पारा ....ग्राम..........................पंचायत......................विकासखण्ड.............

अवधि – दिनांक .... से ....तक

1. अवधि की पहली तारीख को फुलवारी हेतु शेष राशि :– ....
2. अवधि में फुलवारी हेतु प्राप्त राशि :– ....
3 अवधि में फुलवारी हेतु कुल उपलब्ध राशि :– ....
4. अवधि में फुलवारी पर खर्च राशि : – ....
5. अवधि की आखिरी तारीख को शेष राशि :–..
6. अवधि में बच्चों की कुल उपस्थिति :–..
7. अवधि में गर्भवती महिलाओं की कुल उपस्थिति :–..
8. अवधि में शिशुवती माताओं की कुल उपस्थिति :–..
9. अवधि में सहयोगी माता/व्यक्तियों की कुल उपस्थिति :–..
10. संयोजक मितानिन के हस्ताक्षर :– ....
11. अध्यक्ष पंच के हस्ताक्षर :– ....
12. पारा की मितानिन के हस्ताक्षर :– ....
13. पारा के 2 माताओं के हस्ताक्षर :–

    1. ....

    2. ....

ग्राम पंचायत

फुलवारी का उपयोगिता प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत...................... विकासखण्ड ....

अवधि – दिनांक .... से ....तक

1. अवधि की पहली तारीख को फुलवारी हेतु शेष राशि :– ....
2. अवधि में फुलवारी हेतु प्राप्त राशि :– ....
3. अवधि में फुलवारी हेतु कुल उपलब्ध राशि :– ....
4. अवधि में फुलवारीवार खर्च राशि : –

फुलवारी का नाम	अवधि में खर्च राशि
कुल	

5. अवधि की आखिरी तारीख को शेष राशि :–..
6. पंचायत सचिव के हस्ताक्षर :– ....
7. सरपंच के हस्ताक्षर :–..

जनपद पंचायत

फुलवारी का उपयोगिता प्रमाण पत्र

जनपद पंचायत...................... जिला ....

अवधि – दिनांक .... से ....तक

1. अवधि की पहली तारीख को फुलवारी हेतु शेष राशि :– ....
2. अवधि में फुलवारी हेतु प्राप्त राशि :– ....
3. अवधि में फुलवारी हेतु कुल उपलब्ध राशि :– ....
4. अवधि में फुलवारी पर खर्च राशि : – ....
5. अवधि की आखिरी तारीख को शेष राशि :–..
6. विकासखण्ड में संचालित फुलवारी की संख्या :– ....

हस्ताक्षर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,

जनपद पंचायत ....

जिला ....

छत्तीसगढ़

परिशिष्ट–1

अनुसूचित विकासखण्डों में फुलवाड़ी की लक्षित संख्या एवं आबंटित राशि (2013–14)

क्र.	जिला	क्र.	विकासखण्ड	पूर्व से संचालित फुलवाड़ी की संख्या	वर्ष 2013–14 में नई फुलवाड़ी की संख्या	वर्ष 2013–14 हेतु कुल फुलवाड़ी संख्या	वर्ष 2013–14 में फुलवाड़ी हेतु आबंटित राशि
1	कांकेर (7/7)	1	कांकेर	0	30	30	10 लाख रू.
		2	नरहरपुर	0	30	30	10 लाख रू.
		3	चारामा	0	30	30	10 लाख रू.
		4	भानुप्रतापपुर	0	30	30	10 लाख रू.
		5	दुर्गकोन्दल	0	30	30	10 लाख रू.
		6	अंतागढ़	0	30	30	10 लाख रू.
		7	कोयलीबेड़ा	0	30	30	10 लाख रू.
2	कोण्डागांव (5/5)	8	कोण्डागांव	0	30	30	10 लाख रू.
		9	फरसगांव	0	30	30	10 लाख रू.
		10	माकड़ी	0	30	30	10 लाख रू.
		11	केशकाल	0	30	30	10 लाख रू.
		12	बड़ेराजपुर	0	30	30	10 लाख रू.
3	बस्तर (7/7)	13	जगदलपुर (नानगुर)	0	30	30	10 लाख रू.
		14	बस्तर	0	30	30	10 लाख रू.
		15	बकावण्ड	0	30	30	10 लाख रू.
		16	बास्तानार	0	30	30	10 लाख रू.
		17	दरभा	0	30	30	10 लाख रू.
		18	तोकापाल	0	30	30	10 लाख रू.
		19	लोहण्डीगुड़ा	0	30	30	10 लाख रू.
4	सुकमा (3/3)	20	सुकमा	0	30	30	10 लाख रू.
		21	कोन्टा	0	30	30	10 लाख रू.
		22	छिंदगढ़	0	30	30	10 लाख रू.
5	दंतेवाड़ा (4/4)	23	दंतेवाड़ा	0	30	30	10 लाख रू.
		24	गीदम	0	30	30	10 लाख रू.
		25	कुआकोण्डा	0	30	30	10 लाख रू.
		26	कटेकल्याण	0	30	30	10 लाख रू.
6	नारायणपुर (2/2)	27	नारायणपुर	0	30	30	10 लाख रू.
		28	ओरछा	0	30	30	10 लाख रू.
7	कोरबा (5/5)	29	कोरबा	0	30	30	10 लाख रू.
		30	करतला	0	30	30	10 लाख रू.
		31	कटघोरा	0	30	30	10 लाख रू.
		32	पाली	0	30	30	10 लाख रू.
		33	पोड़ीउपरोड़ा	0	30	30	10 लाख रू.

क्र.	जिला	क्र.	विकासखण्ड	पूर्व से संचालित फुलवाड़ी की संख्या	वर्ष 2013–14 में नई फुलवाड़ी की संख्या	वर्ष 2013–14 हेतु कुल फुलवाड़ी संख्या	वर्ष 2013–14 में फुलवाड़ी हेतु आबंटित राशि
8	कोरिया (5/5)	34	बैकुण्ठपुर	0	30	30	10 लाख रू.
		35	मनेन्द्रगढ़	0	30	30	10 लाख रू.
		36	सोनहत	0	30	30	10 लाख रू.
		37	खड़गवां	0	30	30	10 लाख रू.
		38	भरतपुर	0	30	30	10 लाख रू.
9	गरियाबंद (3/4)	39	गरियाबंद	0	30	30	10 लाख रू.
		40	छुरा	0	30	30	10 लाख रू.
		41	मैनपुर	0	30	30	10 लाख रू.
10	जशपुर (8/8)	42	जशपुर (लोदाम)	0	30	30	10 लाख रू.
		43	मनोरा	0	30	30	10 लाख रू.
		44	बगीचा	0	30	30	10 लाख रू.
		45	कांसाबेल	0	30	30	10 लाख रू.
		46	दुलदुला	0	30	30	10 लाख रू.
		47	कुनकुरी	0	30	30	10 लाख रू
		48	फरसाबहार	0	30	30	10 लाख रू.
		49	पत्थलगांव	0	30	30	10 लाख रू.
11	धमतरी (1/4)	50	नगरी	0	30	30	10 लाख रू.
12	बालोद (1/5)	51	डोण्डी	0	30	30	10 लाख रू.
13	बिलासपुर (3/7)	52	मरवाही	0	30	30	10 लाख रू.
		53	गौरेला	0	30	30	10 लाख रू.
		54	पेण्ड्रा	0	30	30	10 लाख रू.
14	बीजापुर (4/4)	55	बीजापुर	0	30	30	10 लाख रू.
		56	भैरमगढ़	0	30	30	10 लाख रू.
		57	उसूर	0	30	30	10 लाख रू.
		58	भोपालपट्नम	0	30	30	10 लाख रू.
15	राजनांदगांव (3/9)	59	अ. चौकी	0	30	30	10 लाख रू.
		60	मोहला	0	30	30	10 लाख रू.
		61	मानपुर	0	30	30	10 लाख रू.
16	रायगढ़ (5/9)	62	खरसिया	0	30	30	10 लाख रू.
		63	घरघोड़ा	0	30	30	10 लाख रू.
		64	तमनार	0	30	30	10 लाख रू.
		65	लैलूंगा	0	30	30	10 लाख रू.
		66	धरमजयगढ़	0	30	30	10 लाख रू.

क्र.	जिला	क्र.	विकासखण्ड	पूर्व से संचालित फुलवाड़ी की संख्या	वर्ष 2013–14 में नई फुलवाड़ी की संख्या	वर्ष 2013–14 हेतु कुल फुलवाड़ी संख्या	वर्ष 2013–14 में फुलवाड़ी हेतु आबंटित राशि
17	सरगुजा (7/7)	67	अम्बिकापुर	28	30	58	24 लाख रू.
		68	लखनपुर	49	30	79	34.5 लाख रू.
		69	सीतापुर	44	30	74	32 लाख रू.
		70	बतौली	33	30	63	26.5 लाख रू.
		71	उदयपुर	63	30	93	41.5 लाख रू.
		72	लुण्ड्रा	49	30	79	34.5 लाख रू.
		73	मैनपाट	34	30	64	27 लाख रू.
18	सूरजपुर (6/6)	74	सूरजपुर	0	30	30	10 लाख रू.
		75	भैयाथान	0	30	30	10 लाख रू.
		76	रामानुजनगर	0	30	30	10 लाख रू.
		77	प्रेमनगर	0	30	30	10 लाख रू.
		78	ओड़गी	0	30	30	10 लाख रू.
		79	प्रतापपुर	0	30	30	10 लाख रू.
19	बलरामपुर (6/6)	80	राजपुर	0	30	30	10 लाख रू.
		81	कुसमी	0	30	30	10 लाख रू.
		82	शंकरगढ़	0	30	30	10 लाख रू.
		83	रामानुजगंज	0	30	30	10 लाख रू.
		84	बलरामपुर	0	30	30	10 लाख रू.
		85	वाड्रफनगर	0	30	30	10 लाख रू.
			कुल	300	2550	2850	1000 लाख रू.